

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
49/2025

दायर दिनांक
07.04.2025

निर्णय दिनांक
30.10.2025

अनवान

1. किशन लाल पुत्र शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. लेहरू लाल पुत्र शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. सोहनी बाई पत्नी शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता नारायण लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण लाल पुत्र रूपा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. माधुलाल पुत्र परथु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रोशनलाल पुत्र गेहरू जाति नाई आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. किशनलाल पुत्र परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
6. नाथु लाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मोहन पुत्र छोगालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भगवान पुत्र उदयराम जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. भोनीराम पुत्र गोपीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. बालकिशन पुत्र गोपीलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. मांगु पुत्र मोहन जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. राकेश पुत्र पन्नालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. सुभाष पुत्र पन्नालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी लाखा का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. उंकार पुत्र सवाईराम जाति नाई आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. श्याम दत्तक पुत्र प्यारा जाति नाई आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



रजयक वलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

16. गंगाराम पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. परथु पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. हीरालाल पुत्र भेरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. किशनलाल पुत्र धन्ना जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. बंशीलाल पुत्र जयराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
21. रामेश्वर लाल पुत्र शंकर लाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
22. मितु लाल पुत्र परथु जाति जाट आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. कैलाश चन्द्र पुत्र माधवलाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
24. बद्रीलाल पुत्र माधु जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

उपस्थिति:- स्वयं
एकतरफा

अप्रार्थीगण
प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तुर्कियाखुर्द पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के आराजी संख्या 273, 321, 322, 331, 332, 333, 422, 852, 853, 898, 899 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 6.86 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 14.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4, एवं 06 से लगायत 19 तथा 22 व 24 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5, 20, 21, 23 के विरुद्ध आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना



Page | 2

हायक कलेक्टर
(रूपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की मौजा तुर्कियाखुर्द पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के आराजी संख्या 273, 321, 322, 331, 332, 333, 422, 852, 853, 898, 899 कुल किता 11 कुल रकबा 6.86 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार)
उपस्थित अधिकारी
कपासन कपासन चित्तौडगढ